



(53)

न्यायालय अध्यक्ष महोदय राज्यस्व मुमुक्षुल ग्रालियर (केम्प उज्जैन) म.प्र.
P.B.R./नगरना/ठज्जैन/स्टाप आय/2017/उनी।
प्रकरण क्रमांक / 2017 / पुनरीक्षण

क्षेत्र पावर एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कं.प्रा.लि., पता—
 117, शिवांस पेराडाईज्ड आर.डी.गार्डी मेडिकल
 कालेज, आगर रोड उज्जैन तहसील व जिला—
 उज्जैन म.प्र.

प्रार्थी अभिभाषक श्री कृष्णगोविंद व्याद

आवेदक

द्वारा प्रस्तुत

विरुद्ध

दिनांक ०५.०२.१३

मु.प्र.शासन द्वारा उप पंजीयक उज्जैन म.प्र.
 पता— उप पंजीयक कार्यालय, भरतपुरी देवास
 रोड, उज्जैन म.प्र.

अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन

आवेदक की ओर से न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स जिला—
 उज्जैन के द्वारा प्रकरण क्र. १०५ / बी—१०३/२०१६—१७
 में पारित आदेश दिनांक ३/०३/२०१७ के विरुद्ध यह पुनरीक्षण
 याचिका श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

विशेष :— माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर
 द्वारा प्रकरण क्रमांक ९७८२/२०१२ में पारित निर्णय दिनांक १७.
 ०७.२०१२ (२०१२ आर.एन.३२१ समदारिया बिल्डर्स(मे.) प्रा.लि.
 विरुद्ध जबलपुर विकास प्राधिकरण तथा अन्य) में पारित निर्णय
 अनुसार पुनरीक्षण प्रचलन योग्य है।

[Signature]

१७५
 ४/७/१७

[Signature]

स्थान सथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	
4-10-2017	<p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-3-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-3-17 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 4-9-17 को अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपने आदेश दिनांक 3-3-17 की प्रति आवेदक को भेजी गई है । इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा भी दिनांक 14-3-17 को गारंटी आहरण करते हुये राशि जमा करादी गई है । अतः स्पष्ट है कि दिनांक 14-3-17 को आवेदक को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश की जानकारी हो गई थी । अतः यदि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन को मान भी लिया जाये कि बैंक द्वारा गारंटी के आहरण से उसे जानकारी हुई, तब भी यह निगरानी अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है । अतः प्रथमदृष्टया विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने से निगरानी अवधि बाह्य मानकर अग्राह्य की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;">(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	